

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 01/05/2024

फाइल नं./रीडर/2024/2148/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 2148/2024 अनवान उर्मिला पुत्री देवी जाट निवासी टीठोडी, मरु पिता देवी जाट निवासी टीठोडी, सायरा पिता देवी जाट निवासी टीठोडी बनाम रामदेव पिता लक्ष्मण रेगर निवासी टीठोडी, महावीर जाट पिता सुखजाट निवासी टीठोडी, बालु पिता सुखा जाट निवासी टीठोडी, नाथु पिता हीरा जाट निवासी टीठोडी, घीसु पिता नारायण जाट निवासी टीठोडी, सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाट निवासी टीठोडी, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम टीठोडी प.ह. टीठोडी आराजी सं. 1253,1254,1255,839,842 कुल किता 05 रकबा 2.5415 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

उर्मिला पुत्री देवी जाट निवासी टीठोडी

बनाम

रामदेव पिता लक्ष्मण रेगर निवासी टीठोडी दंगेर

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 248 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की दायरे में जारी हुए
01/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिमापक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम टीठोडी प.ह. टीठोडी आराजी सं. 1253,1254,1255,839,842 कुल किता 05 रकबा 2.5415 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिमापक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम टीठोडी प.ह. टीठोडी आराजी सं. 1253,1254,1255,839,842 कुल किता 05 रकबा 2.5415 हैक्टेयर भूमि की उमयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 400रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उमयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p>	

आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा